प्रेषक

आयुक्त स्टाम्प
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0 (जनपद-आगरा को छोड़कर)

सं0- 12001-03/स्टाम्प-327/(जे)/02-03 दिनांक- 30.09.09

विषय- फ्लैटों के अन्तरण से सम्बन्धित विलेखों के मूल्यांकन विषयक बिक्री दरों की सूची के प्राविधानों के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 07.09.2009 को माननीय मंत्री संस्थागत वित्त, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क, उ0प्र0 की अध्यक्षता में विभाग के कार्य कलापों एवं प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 के बिन्दु-7 पर यह निर्देश दिये गये है कि फ्लैटों के अन्तरण में चूकि उनमें निहित प्लाट का अविभाजित क्षेत्रफल, जिसका स्वामित्व क्रेता को मिलता है, काफी कम होता है, अतः कलेक्टर रेट लिस्ट के आधार पर इसका मूल्यांकन करने पर उसका अगणित बाजारी मूल्य प्रायः प्रचलित बाजारी मूल्य काफी कम आता है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु जनपद आगरा की रेट लिस्ट में फ्लोर एरिया रेशियों (एफ0ए0आर0) को मूल्यांकन का आधार बनाया गया है तथा उसके अनुसार आगणन करने पर किसी फ्लैट का बाजारी मूल्य उसके प्रचलित मूल्य के लगभग समान आता है।

शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि जनपद आगरा की भांति अन्य जनपदों की रेट लिस्ट में आवश्यक संशोधन करके उपरोक्त व्यवस्था लागू की जाय।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद-आगरा की रेट लिस्ट के संगत प्राविधान की छाया प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि अपने-अपने जिले की बिक्री दरों की सूची में भी उपरोक्तानुसार यथोचित संशोधन करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0/-
(सन्दीप कुमार शर्मा)
प्रभारी आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश।

सं0- 12001-03/स्टाम्प-327/(जे)/02-03 दिनांक- 30.09,09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को माननीय मंत्री संस्थागत वित्त, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क, उ0प्र0 की अध्यक्षता में विभाग के कार्य कलापों एवं प्रगति की मासिक बैठक दिनांक 07.09.2009 के कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 के बिन्दु-7 के सम्बन्ध में सूचनार्थ।

2. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
प्रभारी आयुक्त स्टाम्प
उत्तर प्रदेश।